

## #19 स्टेट टीसीपी : पारदर्शी शिकायत प्रणाली

इस क़ानून के आने के बाद आपकी सरकार से कोई भी मांग है तो आप अपनी मांग को एक शपथपत्र में लिखकर उसे मुख्यमंत्री द्वारा बनायी गयी टीसीपी नामक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से दर्ज करवा सकेंगे। और यदि राज्य का कोई भी नागरिक आपकी मांग पर प्रतिक्रिया देना चाहता है तो वह पटवारी कार्यालय में जाकर आपके शपथपत्र पर हाँ / ना दर्ज करवा सकेगा। इस क़ानून को लागू करने के लिए विधानसभा से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री इसे सीधे गेजेट में छापकर राज्य में लागू कर सकते हैं। हेड कोड : **#StateTCP**

- (1) यह क़ानून राज्य के मतदाता को यह अधिकार देता है कि वे अपने ज़िला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर कोई भी शपथपत्र जमा करवा सकेंगे।
  1. यह शपथपत्र मतदाता द्वारा प्रस्तुत कोई शिकायत, सुझाव या प्रस्तावित क़ानून या अन्य कोई याचनात्मक समाधान हो सकता है। नागरिक शपथपत्र जमा करते समय 20 रु प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क अदा करेगा।
  2. कलेक्टर कार्यालय प्रस्तुत शपथपत्र को चिन्हित करने के लिए एक विशिष्ट सीरियल नंबर जारी करेगा।
  3. कलेक्टर कार्यालय शपथपत्र को स्कैन करके मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर इस तरह अपलोड करेगा कि कोई भी व्यक्ति यह शपथपत्र बिना लॉग-इन (Log in) के देख सके।
- (2) राज्य का कोई भी मतदाता किसी भी दिन पटवारी कार्यालय जाकर धारा 1 के तहत प्रस्तुत शपथपत्र के नंबर का उल्लेख करते हुए अमुक शपथपत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज करवा सकता है। कलेक्टर एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे आप अपनी हाँ / ना SMS के माध्यम से भी दर्ज करवा सके।
  1. कलेक्टर कार्यालय मतदाता द्वारा दर्ज की गयी हाँ / ना को मतदाता के नाम एवं मतदाता संख्या को मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से दर्ज करेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति मतदाता द्वारा दर्ज की गयी हाँ / ना को बिना लॉग-इन (Log in) के देख सके।
  2. किसी शपथपत्र पर हाँ / नहीं दर्ज करने या उसे बदलने के लिए मतदाता को शुल्क देना होगा। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए यह शुल्क 1 रु तथा अन्य नागरिकों के लिए यह 3 रु होगा। मतदाता किसी शपथपत्र पर दर्ज की गयी अपनी हाँ / ना को किसी भी दिन कितनी भी बार बदल सकते हैं।
- (3) धारा 1 में शपथपत्र देने के लिए कलेक्टर नागरिक से शून्य से लेकर पांच गवाह तक, जो कि आपको निजी रूप से जानते हों, लाने के लिए भी कह सकता है।
  1. एक बार शपथपत्र फ़ाइल करने के बाद शपथकर्ता इसे हटा नहीं सकेगा। अदालत के आदेश को छोड़कर किसी भी अधिकारी को दर्ज शपथपत्र को हटाने की अनुमति नहीं होगी।
  2. सूचित किया जाता है कि - शपथपत्र में अनुचित जानकारी या मानहानि कारक, या निन्दात्मक कथन के लिए शपथकर्ता पर किसी भी पक्षकार द्वारा अदालत में वाद दायर किया जा सकता है।
- (4) नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर के प्रभारी सचिव को आदेश जारी किये जाते हैं कि वे ऐसी आवश्यक वेबसाइट आदि की रचना करें जिससे कलेक्टर ऊपर दी गयी धाराओं में दर्ज प्रक्रिया को लागू कर सकें।

TCP का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें- [Tinyurl.com/StateTcp](https://tinyurl.com/StateTcp)